सत्यमेव जयते

# वर्ष 2022–23 के लिए राजस्थान सरकार के वित्त लेखे एवम् विनियोग लेखे के महत्वपूर्ण विशेषताओं पर

## प्रेस ब्रीफ

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

वित्त लेखे एवम् विनियोग लेखे के लिए क्यू.आर. कोड को स्कैन करें

## राजस्थान सरकार

**तत्काल जारी**

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

## वर्ष 2022–23 के लिए राजस्थान सरकार के वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे के महत्वपूर्ण विशेषताओं पर

# प्रेस ब्रीफ

राजस्थान सरकार के वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे 2022–23 नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियों तथा सेवा की शर्तें) अधिनियमए 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत तैयार किये गये है। ये लेखे राज्य विधानसभा मे रखे जाने हेतु दिनांक 21–11–2023 को राजस्थान सरकार को भेजे गये थे और उन्हें विधानसभा में दिनांक 24–01–2024 को प्रस्तुत किया जा चुका है।

वित्त लेखे दो खण्डों में प्रस्तुत किये जाते हैं। खण्ड–। मे 13 विवरण जो प्राप्तियों एवम् वितरणों, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, ऋण तथा अग्रिम्, लोक ऋण, निवेशों, राज्य सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों, सहायतार्थ अनुदान का सारांशीकृत विवरण एवम् महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन ढांचे की अनुपालना पर पैरा, समेकित निधि, आकस्मिकता निधि, लोक लेखे एवं राजस्व व्यय पर प्रभाव "वित्त लेखे से टिप्पणियाँ" में सम्मिलित हैं।

खण्ड–।। में दो भाग है, भाग–। में 9 विस्तृत विवरण तथा भाग–।। में 12 परिशिष्ट है, जो खण्ड–। के विवरणों को पूरित करते हैं।

विनियोग लेखे, वित्त लेखों के पूरक हैं। ये समेकित निधि पर 'भारित' या राज्य विधानसभा द्वारा पारित 'दत्तमत' राशियों के विरूद्ध राज्य सरकार के व्ययों को दर्शाते हैं। राजस्थान में 4 प्रभारित विनियोजन तथा 51 दत्तमत अनुदान हैं।

## वित्त लेखे एवम् विनियोग लेखे की महत्वपूर्ण विशेषताऐं

वित्त लेखे खण्ड–I के वित्त लेखाओं से टिप्पणियाँ (एन.टी.एफ.ए.), विनियोग लेखे एवम् लेखे एक नजर में 2022–23 में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विशेषताऐं देखी गयी तथा सम्मिलित की गयी:

## अ. वित्तीय मापदण्डों/संकेतकों से सम्बन्धित बिंदु

- **बजट प्रावधानों एवं व्यय का विवरण**

वर्ष 2022–23 के दौरान व्यय (दत्तमत एवं प्रभारित) के लिए बजट प्रावधान ₹ 4,07,957 करोड़ एवं व्यय की कमी (वसूलियों) का प्रावधान ₹ 9,040 करोड़ था। इसके विरूद्ध, वास्तविक कुल व्यय ₹ 3,84,699 करोड़ एवं वास्वतिक व्यय में कमी (वसूलियों) ₹ 12,509 करोड़ थी। परिणाम स्वरूप संबंधित बजट प्रावधानों में व्यय की शुद्ध बचत ₹ 23,258 करोड़ (5.70 प्रतिशत) और अधिक वसूलियां ₹ 3,469 करोड (38.37 प्रतिशत) रही।

*(₹ करोड़ में)*

| शीर्ष | कुल बजट | व्यय |
|---|---|---|
| राजस्व | 2,59,947 | 2,34,254 |
| पूंजी | 43,007 | 24,532 |
| पब्लिक ऋण पुर्नः भुगतान | 1,04,810 | 1,25,738 |
| ऋण एवं अग्रिम भुगतान | 193 | 175 |
| **योग** | **4,07,957** | **3,84,699** |

**(लेखे एक नजर में पैरा 5.1 एवं विनियोग लेखे पृष्ठ 541)**

- **कर से आय**

राज्य की कर से आय वर्ष 2021–22 में हुई ₹ 1,28,839 करोड़ की तुलना में वर्ष 2022–23 के दौरान ₹ 1,44,577 करोड़ थी। यह राज्य की स्वयं कर आय ₹ 74,808 करोड़ (वर्ष 2021–22) से ₹ 87,346 करोड़ (वर्ष 2022–23) बढ़ने के कारण है। केन्द्रीय करों एवं शुल्कों के हिस्से के आवंटन में भी ₹ 54,030 करोड़ (वर्ष 2021–22) से ₹ 57,231 करोड़ बढ़ोतरी हुई।

**(लेखे एक नजर में पैरा 2.3 एवं वित्त लेखे खण्ड। विवरण 2 पृष्ठ 4)**

- **सहायतार्थ अनुदान**

वर्ष 2022–23 के दौरान, राज्य ने केन्द्रीय सरकार से वर्ष 2021–22 के ₹ 36,326 करोड की तुलना में ₹ 29,846 करोड सहायतार्थ अनुदान प्राप्त हुये जो कि ₹ 6,480 करोड से कम हुये।

**(वित्त लेखे खण्ड। विवरण 2 पृष्ठ 4)**

- **पूंजी व्यय**

वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य सरकार का पूंजी व्यय ₹ 19,798 करोड था जो वर्ष 2021–22 की तुलना में ₹ 4,353 करोड कम है।

**(वित्त लेखे खण्ड। विवरण 2 पृष्ठ 5)**

## • प्राप्ति एवं भुगतान

वर्ष 2022–23 के दौरान सरकार की कुल प्राप्तियां एवं भुगतान जैसा कि वित्त लेखे 2022–23 में दर्शाया गया, निम्नानुसार थी:–

*(₹ करोड़ में)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **प्राप्तियां (कुल: 2,46,452)** | **राजस्व (कुल: 1,94,988)** | **कर राजस्व** | 1,44,577 |
| | | (क) स्वयं का कर राजस्व | 87,346 |
| | | (ख) कर के निवल आगम का भाग | 57,231 |
| | | **करेत्तर राजस्व** | 20,565 |
| | | **केन्द्र सरकार से अनुदान** | 29,846 |
| | **पूंजीगत (कुल: 51,464)** | **विविध पूंजीगत प्राप्तियां** | 16 |
| | | **कर्जें तथा अग्रिम की वसूली** | 420 |
| | | **उधार तथा अन्य दायित्व** * | 51,028 |
| **वितरण (कुल: 2,46,452)** | **राजस्व** | | 2,26,479 |
| | **पूंजीगत** | | 19,798 |
| | **कर्जें तथा अग्रिम** | | 175 |

* उधार तथा अन्य दायित्व: लोक ऋण का निवल (प्राप्तियां-वितरण) + आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखे का निवल (प्राप्तियां-वितरण) + रोकड़ शेष का निवल (प्रारम्भिक–अंतिम)।

**(लेखे एक नजर में 2022–23 का पैरा 1.3.1)**

## • राजस्व घाटा

वर्ष 2022–23 के दौरान राजस्व घाटा ₹ 31,491 करोड़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.23 *प्रतिशत* था।

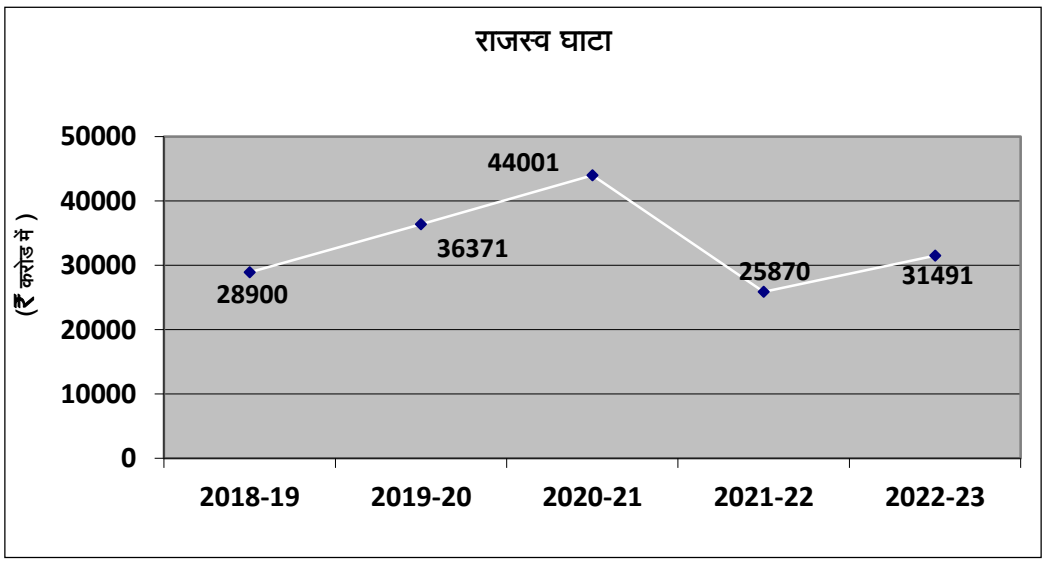


**(लेखे एक नजर में पैरा 1.5 व 1.6.1)**

- **लोक ऋण**

वर्ष 2022–23 के दौरान कुल लोक ऋण 58.40 प्रतिशत बढकर ₹ 1,01,363 करोड (2021–22) से ₹ 1,60,565 करोड (वर्ष 2022–23) हुआ।

**(वित्त लेखे खण्ड़। पृष्ठ 5)**

- **राजकोषीय घाटा**

वर्ष 2022–23 के दौरान ₹ 51,028 करोड़ का राजकोषीय घाटा हुआ जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.61 *प्रतिशत* था। राजकोषीय घाटे में 0.42 *प्रतिशत* की कमी हुई लेकिन यह एफ.आर.बी.एम. के 3.00 *प्रतिशत* लक्ष्य से अधिक है।

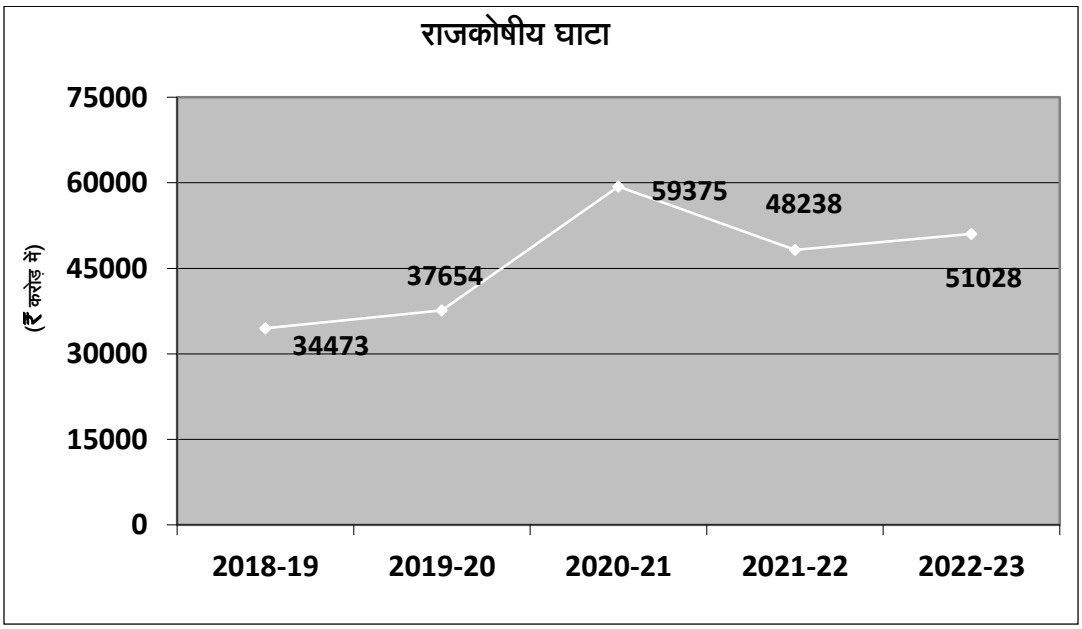


**(लेखे एक नजर में का पैरा 1.5 एवं 1.6.1)**

- **राज्य सरकार के निवेश**

राजकीय कम्पनियोंए वैधानिक उपक्रमों, सहकारी बैकों एवं सहकारी संस्थाओं आदि में अंशपूंजी के रूप में वर्ष 2022–23 के अंत में कुल निवेश ₹ 59,291 करोड़ था। वर्ष के दौरान ₹ 87 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ। सरकारी कम्पनियों में मुख्य निवेश ₹ 53,103 करोड़ किया गया था।

**(वित्त लेखे खण्ड़। विवरण 8 पृष्ठ 42)**

- **रोकड़ शेष का निवेश**

31 मार्च, 2023 को रोकड़ शेष निवेश लेखा वर्ष 2021–22 के ₹ 8,218.92 करोड़ की तुलना में ₹ 103.30 करोड़ था परिणामस्वरूप राजस्थान सरकार के रोकड़ शेष निवेश लेखा में ₹ 8,115.62 करोड़ की कमी हुई।

**(वित्त लेखे खण्ड़। विवरण 1 पृष्ठ 2)**

- **राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम**

31 मार्च, 2023 को राज्य सरकार द्वारा दिये गये बकाया ऋणों की राशि ₹ 7,968 करोड़ थी।

**(वित्त लेखे खण्ड़। विवरण 1 पृष्ठ 5)**

- **अधिकृति से अधिक भुगतान**

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य विधानसभा द्वारा स्वीकृत दो अनुदानों के अंतर्गत अधिकृति से राशि ₹ 21,070 करोड़ का भुगतान किया गया था।

| अनुदान संख्या | आधिक्य *(₹ करोड़ में)* | |
|---|---|---|
| | राजस्व | पूंजीगत |
| लेक ऋण | .. | *20,927.41* |
| 021 सड़कें एवं पुल | 1,42.20 | .. |

**(विनियोग लेखे पृष्ठ 14)**

- **राजस्व व्यय का कम दर्शाया जाना**

वर्ष 2022–23 के दौरान राजस्व प्राप्तियां ₹ 123 करोड़ से अधिक दर्शाया गयी थी। इसी प्रकार राजस्व व्यय इसी अवधि के दौरान ₹ 459 करोड़ (निवल) अधिक दर्शायी गयी थी। यह वित्त लेखे खण्ड–। के 'वित्त लेखाओ से टिप्पणियां' के पैरा 6 में वर्णित किया गया है।

**(वित्त लेखाओं से टिप्पणियां का पैरा 6)**

## ब. लेखांकन प्रक्रिया से संबंधित बिन्दु

- **महत्वपूर्ण बचतें**

वर्ष 2022–23 के दौरान, ₹ 6,679 करोड़ की कुल अनुपूरक अनुदान (कुल अनुपूरक अनुदान ₹ 52,734 करोड़ का 12.80 *प्रतिशत*) कुछ प्रकरणों में अनावश्यक सिद्ध हुई, जहाँ वर्ष की समाप्ति पर मूल आंवटन के विरूद्ध ही महत्वपूर्ण बचतें रहीं।

**(लेखे एक नजर में के पैरा 5.3)**

- **निजी निक्षेप खाते में निधियों का हस्तांतरण**

दिनांक 31 मार्च, 2023 को कुल 2,200 निजी निक्षेप (पी.डी.) खाते थे। वर्ष 2022–23 के दौरान, राशि ₹ 41,174 करोड़ की राशि पी.डी. खातों को हस्तान्तरित/ जमा की गयी। राशि ₹ 41,174 करोड़ में से ₹ 4,129 करोड़ (10.03 *प्रतिशत*) मार्च, 2023 में समेकित निधि से हस्तान्तरित किये गये। वित्तीय वर्ष 2022–23 के अंत में पी.डी. खातों में राशि ₹ 14,114 करोड़ अवशेष थी।

**(वित्त लेखाओं से टिप्पणियां का पैरा 3(v))**

- **राजस्व और पूंजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण**

वर्ष 2022–23 के दौरान राजस्थान सरकार ने ₹ 493.60 करोड़ स्वायत्तशाषी संस्थाओं एवं राज्य पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग को हस्तांतरित किये एवं यह राशि विभिन्न पूंजीगत व्यय शीर्षों में वर्गीकृत की गयी। यह व्यय वर्ष 2022–23 के राज्य बजट में प्रावधित ₹ 614.09 करोड के विरूद्ध था जिसका पूंजीगत शीर्षों में गलत प्रावधान किया गया था।

**(वित्त लेखाओं से टिप्पणियां का पैरा 3(ii))**

- **नगर पालिकाओं/ नगर परिषदों के कर्मचारियों के बीमा एवं पेंशन कोष में ऋणात्मक शेष**

31 मार्च, 2023 को लेखा शीर्ष 8011–106 – बीमा एवं पेंशन निधि – अन्य बीमा एवं पेंशन निधियां में ₹ 3,091 करोड़ का ऋणात्मक शेष प्रकट हो रहा है। यह निधि में प्राप्तियों की तुलना में नगर पालिकाओं/ नगर परिषदों के कर्मचारियों को पेंशन के अधिक भुगतान के कारण है। अधिक भुगतान के परिणाम स्वरूप राज्य सरकार के नकद शेष में उस सीमा तक कमी आई।

**(वित्त लेखाओं से टिप्पणियां का पैरा 5 (vi))**

- **एकल नोडल एजेंसी (एस.एन.ए.) को निधियों का हस्तांतरण**

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 23–03–2021 को केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निधियां जारी करने, उनकी मोनिटिरिंग एवं उपयोग के लिए अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक सी.एस.ए के लिए एकल नोडल एजेंसी (एस.एन.ए.) की स्थापना राज्य सरकार के सरकारी व्यवसाय संचालित करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में स्वयं के बैंक खाते के साथ की जाती है जो कि राज्य सरकार के अपने खातो में प्राप्त केन्द्रीय हिस्से को तदनुरूप राज्य के हिस्से के साथ संबंधित एस.एन.ए. के खाते में हस्तांतरण के लिए है।

₹ 27,116 करोड़ के राज्य सरकार के एकल नोडल एजेंसी को कुल हस्तांतरण में से जिसमें केन्द्रीय हिस्से की राशि ₹ 13,827 करोड़ सम्मिलित है, दिनांक 31–03–2023 को एस.एन.ए. के बैंक खातों में ₹ 9,096 करोड़ बिना व्यय किये पडे थे।

**(वित्त लेखाओं से टिप्पणियां का पैरा 3 (xvi))**

- **राज्य में कार्यकारी अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधियों का सीधा हस्तांरण (राज्य बजट से बाहर की निधियाँ)– ₹ 18,059 करोड़**

भारत सरकार द्वारा कार्याकरी अभिकरणों को सी.एस.एस./ ए.सी.ए. के अंतर्गत सभी सहायता जारी नही कर राज्य सरकार को जारी करने के निर्णय के बाबजूद, केन्द्रीय सरकार द्वारा संबंधित योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष राजस्थान में कार्यकारी अभिकरणों को वर्ष 2021–22 में जारी ₹ 16,151 के विरूद्ध ₹ 18,059 करोड़ सीधे ही जारी किये गये

जो कि 11.81 *प्रतिशत* की बढोतरी थी। परिणामस्वरूप, ऐसा हस्तातरण एवं तत्पश्चात् कार्यकारी संस्थाओं द्वारा किया गया व्यय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों में प्रदर्शित नही है।

**(वित्त लेखाओं से टिप्पणियां का पैरा 3(xiv))**

- **₹ 31 करोड़ की राशि के असमायोजित सारांशीकृत आकस्मिक (ए.सी.) बिल**

राज्य प्राधिकारियों को सारांशीकृत आकस्मिक बिलों को तैयार कर आकस्मिक उद्देश्यों हेतु राशियों को आहरित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। विस्तृत आकस्मिक बिलों के माध्यम से इनका निस्तारण अधिकतम तीन माह की अवधि में किया जाना आवश्यक होता है।

वर्ष 2022–23 से संबंधित राशि ₹ 11 करोड़ के 75 विस्तृत आकस्मिक बिलों को शामिल करते हुए कुल राशि ₹ 21 करोड़ के 85 विस्तृत आकस्मिक बिल समायोजन हेतु बकाया थे (दिनांक 30.06.2023 तक)। बकाया विस्तृत बिलों की राशि ₹ 33 करोड़ (2021–22) से ₹ 21 करोड़ (2022–23) तक बढ़ी।

**(वित्त लेखाओं से टिप्पणियां का पैरा 3(vi))**

- **सहायतार्थ अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए**

विशिष्ट प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराये गये अनुदान के संबंध में विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदान प्राप्तकर्ता से उपयोगिता प्रमाण पत्र उनकी स्वीकृति की तिथि से 12 माह के भीतर जब तक अन्यथा निर्धारित न हो, प्राप्त कर, सत्यापन के पश्चात् प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को अग्रेषित किये जाने चाहिये। तत्पश्चात् अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र की सीमा तक लेखों में दिखाये गये व्यय को अंतिम नहीं माना जा सकता और सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि राशि स्वीकृत उद्देश्य के लिए खर्च की गयी थी। बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र राशि वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 1,833 करोड़ से कम होकर 2022–23 के दौरान ₹ 1,107 करोड़ हुई।

**(वित्त लेखाओं से टिप्पणियां का पैरा सं 3(vii))**

# कार्यालय महालेखाकार

# (लेखा एवं हकदारी)

# राजस्थान, जयपुर

**https://cag.gov.in/ae/rajasthan/hi**